अध्याय V : सीमा सड़क संगठन

5.1 परिहार्य अतिरिक्त व्यय

वैधता अवधि के अंदर निविदाओं को स्वीकार करने में महानिदेशक, सीमा सड़क की विफलता तथा निविदा प्रलेखों की अपर्याप्तताओं के परिणामस्वरूप पुनः निविदाएं आमंत्रित करनी पड़ीं तथा ₹6.47 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन सं. 16 के पैरा 5.1 में उन बिलंबों का उल्लेख किया गया था, जिसके कारण वैधता अवधि के अंदर निविदाओं को अंतिम रूप देने में विफलता हुई, जिसके कारण सरकार को अतिरिक्त व्यय हुआ। मंत्रालय ने अपनी "की गई कार्यवाई की टिप्पणी" (ए टी एन) में स्वीकार किया (मार्च 2013) कि आई एफ ए के परामर्श से महानिदेशक सीमा सड़क संगठन (डी जी बी आर)/ अपर महानिदेशक सीमा सड़क संगठन (ए डी जी बी आर) के अनुमोदन की आवश्यकता रखने वाले मामलों के लिए 60 दिन की वैधता अवधि कम थी और कहा कि एक उपचारी उपाय के रूप में ऐसी निविदाओं की वैधता को 120 दिन तक रखने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

निविदाओं की बढ़ाई गई वैधता के बावजूद, लेखापरीक्षा ने देखा कि दो मामलों में प्रथम कॉल में मुख्य अभियंता (परियोजना) द्वारा संविदाएं नहीं की जा सकीं, जिसके परिणामस्वरूप पुनः निविदा आमंत्रित करनी पड़ी तथा ₹6.47 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ, जैसा कि नीचे चर्चा की गई हैः

मामला-I : मुख्य अभियंता (परियोजना) स्वस्तिक

डी जी बी आर ने अक्टूबर 2014 में एक नदी पुल के लिए बोलियां आमंत्रित कीं, जिसकी वैधता निविदाएं खुलने की तिथि से 120 दिन की थी। तकनीकी (टी) बोलियां 27 अक्टूबर 2014 तथा मूल्य-बोलियां 24 दिंसबर 2014 को खोली गईं। मैसर्स डी 2 एस इनफ्रास्ट्रक्चर (प्राइ.) लिमिटेड का ₹24.30 करोड़ का निम्नतम (एल-1) उद्धरण 23 अप्रैल 2015 तक वैध था। चूँकि एल-1 उद्धरण, प्रशासनिक अनुमोदन (ए ए) की राशि ₹19.32 करोड़ के 10 प्रतिशत से अधिक थी, डी जी बी आर ने यह मामला आई एफ ए को भेजा (18 फरवरी 2015), जिसने यह बताते हुए 11 मार्च 2015 को अपनी टिप्पणियों के साथ मामला डी जी बी आर को लौटाया कि चूँकि इस मामले पर विचार-विमर्श हो रहा था, उपयुक्त अवधि के लिए वैधता बढ़ाए जाने के विषय को एल-1 फर्म के साथ उठाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, डी जी बी आर के अनुरोध पर (07 अप्रैल 2015) फर्म ₹2.88 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय विवक्षा के साथ प्रस्ताव को 15 जुलाई 2015 तक बढ़ाने के लिए सहमत हुआ (04 मई 2015)।

डी जी बी आर ने फर्म के सशर्त प्रस्ताव की दृष्टि में इस मामले पर पुनः निविदा आंमत्रित करने का निर्णय लिया (04 जून 2015)। पुनर्निविदाकरण के अनुसरण में (09 जून 2015) सी ई (पी) स्वस्तिक ने ₹29.40 करोड़ के लिए मैसर्स अनुज इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एल-1) के साथ संविदा की (दिसंबर 2015)।

लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त 2016) कि ₹24.30 करोड़ के लिए मैसर्स डी 2 एस इनफ्रास्ट्रक्चर (प्राइ.) लिमिटेड के एल-1 प्रस्ताव की वैधता के अंदर अनुमोदन देने में डी जी बी आर एंव आई एफ ए की उदासीनता के कारण पुनः निविदा आमंत्रित करनी पड़ी और उसके कारण ₹5.10[20] करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मुख्यालय डी जी बी आर ने अपने उत्तर में (अगस्त 2016) आई एफ ए को इन विलंबों के लिए कारण ठहराया। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (जनवरी 2017)।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि आई एफ ए के अलावा, मुख्यालय डी जी बी आर में मामले का प्रक्रमण करने में भी विलंब था, जिसके फलस्वरूप प्रस्ताव की समाप्ति हुई तथा ₹5.10 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, जो परिहार्य था।

मामला-II : मुख्य अभियंता (परियोजना) संपर्क

सी ई (पी) ने सड़क के ऊपरी परत निर्माण कार्य के लिए 12 जनवरी 2015 को निविदाएं आमंत्रित की। इसके अनुसरण में, मैसर्स न्यू जेलम कन्स्ट्रक्शन कांय का उद्धरण ₹12.02 करोड़ पर निम्नतम पाया गया और उनकी वैधता 120 दिन अर्थात 28 जून 2015 तक के लिए थी। चूँकि एल-1 उद्धरण ₹10.00 करोड़ से अधिक थी, सी ई (पी) ने यह उल्लेख करते हुए कि प्राप्त दरें युक्तिसंगत थी, 11 मार्च 2015 को मामला अनुमोदनार्थ मुख्यालय डी जी बी आर को अग्रेषित किया। डी जी बी आर और आई एफ ए ने 18 मार्च तथा 16 जून 2015 के बीच अभ्युक्तियां जारी कीं, जिनके उत्तर सी ई (पी) द्वारा 23 जून 2015 तक दिए गए। चूँकि डी जी बी आर ने 28 जून 2015 तक, अर्थात् निविदा की वैधता के अंदर अनुमोदन प्रदान नहीं किया, इसलिए एक माह तक वैधता बढ़ाने हेतु सी ई (पी) द्वारा फर्म से संपर्क किया गया, परंतु वैधता बढ़ाने से इंकार किया गया।

पुनर्निविदाकरण (8 जुलाई 2015) के परिणामस्वरूप मैसर्स जय लक्ष्मी स्टोन क्रशर के साथ 16 नंवबर 2015 को सी ई (पी) द्वारा ₹13.39 करोड़ के लिए एक संविदा की गई, जो प्रथम कॉल में प्राप्त दर से ₹1.37 करोड़ अधिक था।

सी ई (पी) संपर्क ने उत्तर दिया (दिसंबर 2015) कि प्रथम कॉल में निविदा संभवतः उसकी उच्चतर दरों के कारण डी जी बी आर द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। यह

[20] ₹29.40 करोड़- ₹24.30 करोड़= ₹5.10 करोड़

उत्तर युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि डी जी बी आर ने प्रथम काल में प्राप्त उच्च दर के बारे में सूचित नहीं किया है। इसके अलावा, 11 मार्च 2015 को डी जी बी आर के अनुमोदन के लिए मामला अग्रेषित करते समय सी ई (पी) संपर्क ने दरों की युक्तिसंगतता की सफाई दी थी।

इस प्रकार, इन दोनों मामलों के परिणामस्वरूप ₹6.47 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

मामला सितंबर 2016 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।